न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4384–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–9–12 पारित द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल प्रकरण कमांक 62/निग./10–11.

बुद्धू पिता रामकुमार गोंड
निवासी गोरतरा, तहसील सोहागपुर
थाना शहडोल जिला शहडोल म.प्र. ------ आवेदक

विरूद्ध

1– राकेश पिता रामनाथ जायसवाल
निवासी वार्ड नं. 21, जिला शहडोल म.प्र.
2– प्रकाश जगवानी पिता खैराजमल सिंधी
निवासी वार्ड नं. 24, थाना व तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल म.प्र. ------ अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री के. के. द्विवेदी ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16-06-14 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण कमांक 62/निग./10–11 में पारित आदेश दिनांक 24–9–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में ग्राम गोरतरा स्थित आराजी सर्वे नं. 543 रकबा 5.30 एकड़ वापिसी हेतु संहिता की धारा 170–ख के तहत आवेदन पेश किया कि प्रश्नाधीन भूमि के वर्ष 1958–59 में बुद्धू पिता धानू गोंड भूमिस्वामी थे जिसे अनावेदकों द्वारा अवैध तरीके से अपने नाम अंतरण कराया है, अतः भूमि वापिस उसके नाम दर्ज की जाये । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन को सारहीन बताते हुए निरस्त किया गया । इससे दुखित होकर प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष पेश जो उन्होंने आदेश दिनांक 20.12.12 द्वारा निरस्त की । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जिसमें आयुक्त ने आलोच्य आदेश

पारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन को नए सिरे से संज्ञान में लेकर उसका निराकरण विधि अनुसार करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए हैं । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं ।

4— अनावेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयुक्त के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के अंतरण के संबंध में होकर संहिता की धारा 170 (ख) का है । प्रकरण में आयुक्त ने अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत गंभीर त्रुटिया बताई हैं और उन्होंनेयह माना है दस्तावेजों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं है और और इस कारण सही निष्कर्ष निकालना आवश्यक है । संहिता की धारा 170 (3) में स्पष्ट निर्देश है कि आवश्यक जांच की जाये और इसका आश यह नहीं होता कि पुराने दस्तावेजों की छाया प्रतियों को ही विश्वसनीय मान लिया जाये । आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित है कि 2—10—59 से 24—10—80 के बीच आदिम जनजाति के सदस्य की रही भूमि के संबंध में आवश्यक जानकारी देने का दायित्व गैर आदिवासी व्यक्ति का है । यह निष्कर्ष साक्ष्य के उपरांत ही संभव है और इस आधार पर उन्होंने समस्त कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी को विधिवत कार्यवाही के लिए प्रत्यावर्तित किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक प्रकिया के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर